न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर,
आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 8/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
श्रीमति मीरा पत्नि मांगाजी, जाति कलबी,निवासी देवदा का गोलिया, तहसील बागोडा, जिला जालोर		1.श्रीमति मेथी पत्नि पूनमारामजी, 2.श्रीमति वरजू पत्नि जोधाराम, जाति कलबी,निवासी देवदा का गोलिया, तहसील बागोडा,जिला जालोर 3.तहसीलदार बागोडा

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार बागोडा दिनांक 3.7.2015
(बंटवाडा आदेश सं. भू अ0/ 03)

उपस्थिति :–
1.श्री नीखिल दवे,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री सुरेन्द्र चौहान्,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1, 2 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.3की ओर से।

निर्णय — दिनांक 6.11.2017

1. यह अपील श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है। अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने ग्राम मोरसीम के लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प–2015 में दिनांक 3.7.2015 को देवदा का गोलिया में स्थित आराजी खसरा नम्बर 313 रकबा 2.30 हेक्टर आपसी सहमति से विभाजन कर दिया जिसमें किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तावित विभाजन के रूप में बनाकर पेश नही किया गया परन्तु तहसीलदार द्वारा मनमाने तरीके से अपीलांट को जो हिस्सा दिलाया गया, उसे नक्शे में "ए" से रेस्पोडेन्ट मेथी का "बी" से एवं वरजू को "सी" से दर्शाया गया है जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील पेश की है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय पहचानकर्ता के रूप में थानाराम के हस्ताक्षर करवाये गये है परन्तु जो नक्शा उसी रोज दिनांक 3.7.2015 को तैयार करना बताया गया है उसमें थानाराम के हस्ताक्षर पहचानकर्ता के रूप में नही करवाये गये है। विभाजन के माध्यम से अपीलांट को 0.76 हेक्टर

भूमि तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को प्रत्येक को 0.77 ,0.77 हेक्टर भूमि दिलवाई गई है एवं नक्शे में रेस्पोडेन्ट का जो हिस्सा दर्शाया गया है उसमें जाने हेतु कोई मार्ग यानि रास्ता नही दिलाया गया है जिससे अधिनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना की है, उक्त आराजी के पश्चिम में रास्ता चलता है तथा रास्ते से लगती हुई भूमि सभी पक्षकारों को समान रूप से दिलाया जाना संभव होने के बावजूद अपीलांट को नुकशान पहंचाने व रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 को फायदा पहुंचाने की नियत से अपीलांट को पश्चिम की तरफ की भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से लगती हुई दी गई है एवं रेस्पोडेन्ट सं.2 के दक्षिण में दी है एवं सम्पूर्ण रास्ते से लगती भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को दी है। अपीलांट को दिनांक1.1.2017 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने कहां कि हमारे अन्दर से नही चलने देंगे जिससे अपीलांट दिनांक 2.1.2017 को बागोडा गई तथा नकले मांग जो दिनांक 4.1.2017 को मिली उसके पश्चात् अपीलांट बिमार होने से दिनांक 20.1.2017 को जालोर आकर वकील नियुक्त किया व दिनांक 24.1.2017 को अपील पेश की । अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया । इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2के अभिभाषक ने बहस में बताया कि दिनांक 25.5.2015 को इनके आपस में लिखित बंटवाडा हुआ है। इस बंटवाडे के खसरा नम्बर 313नही होकर खसरा नम्बर 1310 है। इनके एक दावा सं. 38/2003व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सं. 24/2002 जोधाराम बनाम सरकार ए.सी.जे. एम. कोर्ट भीनमाल में पेश किया था जो खसरा नम्बर 1309 में अपीलांट के खेत में जाने हेतु रास्ते से सबंधित था जो राजीनामा से फैसल हो चुका है। सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) भीनमाल के प्रकरण संख्या सी.एम. 24/02

में जो मौका रिपोर्ट पेश की है उसमें अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 1310 में जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 1309 में अंकित है। दिनांक 3.7.2015 के बंटवारे में अपीलांट का अंगुष्ठ निशान अंकित है, जिसकी अपील अपीलांट ने दिनांक 24.1.2017 को जिला कलेक्टर न्यायालय में पेश की है, अतः यह अपील म्याद बाहर पेश की है, उक्त बंटवाडा लोक अदालत वर्ष 2015 में पेश हुआ है, बंटवाडे में अपीलांट के लडके थानाराम के हस्ताक्षर है तथा दिनांक 25.5.2015 को पारिवारिक लिखित बंटवाडा पहले हो चुका था उसमें अपीलांट के पति मांगाराम, अपीलांट का लडका रामाराम व धनाराम तथा अपीलांट के जवाई भोमाराम आदि के हस्ताक्षर है। इसी बंटवाडे के आधार पर तहसीलदार बागोडा के समक्ष लोक अदालत में पेश किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। देरी से प्रस्तुत अपील में म्याद के प्रश्न को पहले निर्धारित किया जाना है। हस्तगत अपील देरी से पेश की गई है। अतः म्याद के बिन्दु को पहले निर्धारित किया जाना आवश्यक है। अपीलांट मीरा का आपसी सहमति के बंटवाडा दिनांक 3.7.2015 में अंगुष्ठ निशान अंकित है, उक्त बंटवाडा आदेश के विरूद्ध अपील 30 दिन में यानि दिनांक 2.8.2015 तक पेश करनी चाहिये थी लेकिन अपीलांट द्वारा तहसीलदार बागोडा के बंटवाडा आदेश दिनांक 3.7.2015 के विरूद्ध अपील दिनांक 24.1.2017 को श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के न्यायालय में पेश की गई है जो करीब 1 वर्ष 10 माह बाद पेश की गई है जिसका दिन प्रतिदिन का कोई कारण नही बताया है। यह प्रमाणित हैं कि अपीलांट ने अपील अन्दर म्याद पेश नही की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से प्रकरण मैरिट पर विवेचन किये जाने की आवश्यकता नही है।

आदेश

अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय, आज दिनांक 6.11.2017 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर